प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक-06.04.2024

जनपद अम्बेडकरनगर थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत वायरल आपत्तिजनक वीडियो का तत्काल संज्ञान में लेकर सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास को किया गया गिरफ्तार।

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बसखारी पर नियुक्त मुख्य आरक्षी कुलदीप सिंह व का0 पंकज यादव रात्रि गश्त में भ्रमणशील थे कि मोबाईल पर अश्लील वीडियो वायरल हो रहा था, जिसकी पुष्टि गश्त के दौरान ही मुख्य आरक्षी कुलदीप सिंह द्वारा किया गया तो ज्ञात हुआ कि थाना स्थानीय क्षेत्र के कस्बा बसखारी में अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास निवासी कस्बा बसखारी थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर जो शारीरिक रुप से 70 प्रतिशत विकलांग है । जो प्रतिदिन कस्बा बसखारी में घुमता रहता है । कस्बा बसखारी में एक विक्षिप्त महिला पूर्वी चौराहे से लेकर पश्चिमी चौराहे व अस्पताल तक भ्रमण करती रहती है । उक्त दोनो विक्षिप्त महिला व पुरुष का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा था। जिसके सम्बन्ध में मुख्य आरक्षी कुलदीप सिंह की लिखित तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 82/24 धारा 376 भादवि0 व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा गया तथा सम्बन्धित आरोपी मुकेश कुमार उपरोक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

01-मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी कस्बा बसखारी थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 82/24 धारा 376 भादवि0 व 66 आईटी एक्ट थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

गिरफ्तार कर्ता पुलिसटीम-

01-प्रभारी निरीक्षक श्री सन्त कुमार सिंह थाना बसखारी मय पुलिस फोर्स ।